22.12.2021

पत्रावली पैश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। विपक्षी राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां की और से पैरोकार उपस्थित। प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता ने प्रस्तुतशुदा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट पर एकपक्षीय बहस के तौर पर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम डोहरिया पटवार हल्का डोहरिया भू0अ0निरीक्षक कनेछनकलां तह. फुलियाकलां जिला भीलवाडा में स्थित आराजी सख्यां 526 रकबा 0.51 हैक्ट. भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण ने विवादित आराजी को पिता श्री घीसालाल कुमावत के नाम पर आवंटन होने का कथन रखते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण आराजीयात में प्रथम श्रैणी की वारिसान है, जिस पर हम अपने हक हिस्से अनुसार काबिज हो उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। किन्तु सेटलमेन्ट विभाग की कार्यवाही के दौरान भूलवश आराजीयात को विपक्षी संख्या 01 के पक्ष दोषयुक्त दर्ज अभिलेख कर दिया गया।

अप्रार्थी प्रार्थीगण के हक स्वामित्व की आराजीयात को बैचान कर हस्तान्तरित करने एंव प्रार्थीगण को जायदाद से महरूम करने पर आमादा है। केवल मात्र राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज होने के कारण प्रार्थीगण की पैत्रक आराजीयात को विपक्षी संख्या 01 बैचान करने एंव प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू है। अतः प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगणो को रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध आधार राजस्व अभिलेख दस्तावेजात के अवलोकन/परिक्षण से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षी संख्या 01 द्वारा

------लगातार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वादग्रस्त आराजीयात का अन्तरण/बैचान कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण के हक प्रभावित होगें। इसके अतिरिक्त सुविधा/संतुलन के दृष्टिकोण से भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है। अतः ग्राम डोहरिया पटवार हल्का डोहरिया भू0अ0निरीक्षक कनेछनकलां तह. फुलियाकलां जिला भीलवाडा में स्थित आराजी सख्यां 526 रकबा 0.51 हैक्ट. भूमि के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षी संख्या 01 को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैशल शुमार हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी रहे। सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी फुलिया कलां (भील.)